बीकानेर में फायरिंग, जयपुर, बूंदी और दौसा में हुए गैंगरेप कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के स्पष्ट प्रमाण : डॉ. पूनिया

'अशोक गहलोत झूठे वादे और घोषणाएं करने में अव्वल, किसानों से तीन साल पहले सम्पूर्ण कर्जा माफ करने का वादा आज भी अधूरा'

- 'प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर झूठ आरोप लगाना अशोक गहलोत की सोते जागते आदत बन चुकी है, कांग्रेस विधायक भी उनकी कार्यशैली से नाखुश हैं'
- 'लोकतंत्र की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री ने सत्ता का दुरूपयोग कर अपने ही विधायकों पर केस दर्ज करवाए और पीसीसी चीफ व डिप्टी सीएम को बर्खास्त किया था'

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा केन्द्र सरकार पर लगाए गए झूठे आरोपों पर पलटवार किया है।

कांग्रेस नेता बार-बार भाजपा में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार होने का बयान देते आए हैं। अब खुद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर मुहर लगा दी है। पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान भाजपा में सीएम पद के एक दर्जन उम्मीदवार हैं। अरसे पहले लोग कहते थे कि भाजपा में लीडरशिप क्राइसिस है। मगर अगर मुख्यमंत्री पद के एक दर्जन उम्मीदवार होने को मैं खूबी मानता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पास अनुभवी लोग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह संसदीय दल तय करेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका कोई सेट फिनोमिना नहीं है। पार्टी परिस्थितियों के आधार पर कई बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है। कई बार नहीं भी करती है। इसके पीछे वजह है कि भाजपा सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ती है।

पूनिया ने यह भी साफ किया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा होंगे। मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी पिछले दिनों जयपुर में कहा था कि मोदी के चेहरे पर ही 2023 का चुनाव लड़ेंगे। डॉ. पूनिया ने बयान जारी कर कहा कि अशोक गहलोत स्वयं झूठे वादे और घोषणाएं करने में अव्वल हैं, क्योंकि 2018 में किसानों से पूरा कर्जा माफ करने का जो वादा किया था, वो आज तीन साल बाद भी अधूरा है, इसके अलावा घोषित भर्तियां तय समय पर पूरी नहीं होने से बेरोजगार युवा जयपुर से लेकर कांग्रेस के लखनऊ कार्यालय तक धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, प्रदेश की बेरोजगारी दर भी शीर्ष पर है, जो 27.1 प्रतिशत है। डॉ. पूनियां ने कहा कि अशोक गहलोत खुद की सरकार की विफलताएं छुपाने व वादाखिलाफी से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह व अन्य केन्द्रीय मंत्रियों पर तत्थ्यहीन व झूठे आरोप लगाते रहते हैं, जो उनकी सोते जागते आदत बन चुकी है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के विधायक व मंत्री भी इनकी सरकार की कार्यशैली से नाखुश हैं, जिनकी लम्बी सूची है।

उन्होंने कहा कि मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय खुद की सरकार पर ही हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा चुके हैं, जिसमें उन्होंने विधायकों पर राज्यसभा चुनाव व सरकार के सियासी संकट के समय 10-10 करोड़ रूपये लेने की बात कही थी। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री ने सत्ता का दुरूपयोग कर अपने ही विधायकों पर केस दर्ज करवाए और पीसीसी चीफ व डिप्टी सीएम को बर्खास्त किया था। डॉ. पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह कुंदनपुर, दीपेन्द्र सिंह शेखावत, मंत्री हेमाराम चौधरी भी कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर भ्रष्टाचार व विकास कार्य नहीं होने के आरोप लगा चुके हैं। स्वयं मुख्यमंत्री भी राज्य सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार होने की बात स्वीकार कर चुके हैं, इस सरकार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है, जो सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रही वह प्रदेश की जनता का क्या भला करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है, बीकानेर में दिनदहाड़े फायरिंग, जयपुर व बूंदी में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप-गैंगरेप, दौसा में महिला के साथ गैंगरेप, पिछले तीन सालों में 6.50 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज होना। इत्यादि मामले कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने और अपराधियों के हौंसले बुलंद होने के स्पष्ट प्रमाण हैं, कानून व्यवस्था प्रदेश का प्रमुख मुद्दा है, जिस पर मुख्यमंत्री व गृहमंत्री अशोक गहलोत को गंभीरता से ध्यान देकर दुरुस्त करने की जरूरत है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन व तिलहन की खरीद में गति लाएं : सीएस

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को राजफेड की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजफेड की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा भी मौजूद थीं।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड (राजफेड) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन एवं तिलहन की खरीद प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और उसका समय पर भुगतान सुनिश्चित हो।

आर्य ने मंगलवार को राजफेड की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से खरीफ 2021 सीजन के लिए निर्धारित खरीद लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा कर नेफेड के माध्यम से किसानों को भुगतान किया जाए। गौरतलब है कि राजफेड द्वारा प्रदेश में दलहन के रूप में मूंग तथा उड़द और तिलहन के रूप में सोयाबीन और मूंगफली की खरीद नवंबर 2021 में शुरू की गई है, जो 90 दिनों तक जारी रहेगी। बैठक में राजफेड की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने बताया कि इस खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के लिए कुल 876 क्रय केन्द्र शुरू किए गए हैं। सभी जगह बारदाने की उपलब्धता पर्याप्त है तथा अभी तक 346 करोड़ रुपये मूल्य की उपज खरीदी जा चुकी है। बैठक में शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नवीन जैन, राजफेड तथा नेफेड के अधिकारी मौजूद थे।

परनामी के जन्मदिन के अवसर पर वसुंधरा गुट के नेताओं का रहा जमावड़ा

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने जन्मदिन पर भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाई है।

आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के गलता गेट स्थित एक विवाह स्थल पर हुए कार्यक्रम में परनामी ने गहलोत सरकार को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यह सरकार रेंग-रेंगकर नहीं घिस-घिसकर चल रही है। उन्होंने दावा किया कि 2023 में भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के सवाल पर परनामी ने कहा कि उनके साथ मुलाकात सियासी नहीं थी और ना ही हमारे बीच कोई राजनीतिक बात हुई है। यह केवल शिष्टाचार मुलाकात थी और दोनों के बीच नववर्ष की रामा-श्यामा हुई है।

हालांकि परनामी ने साफ तौर पर कहा कि मैं शक्ति प्रदर्शन नहीं करता। यह कार्यकर्ताओं का प्यार है। मेरे जन्मदिन पर हर साल कार्यकर्ता रक्तदान शिविर करते हैं। इस बार भी रक्तदान शिविर में एक हजार यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट के नेता कार्यक्रम में नजर आए। कार्यक्रम में वसुंधरा राजे गुट के नेता एक बार फिर नजर आए। सांसद रामचरण बोहरा के साथ विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, अशोक लाहोटी के अलावा परनामी के समय शहर अध्यक्ष रहे संजय जैन, महिला मोर्चा जयपुर अध्यक्ष कविता मलिक, भाजयुमो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डीडी कुमावत, पूर्व प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारीक, पार्षद कुसुम यादव, महेश कलवानी, सुरेश नावरिया, भाजपा नेता अजय यादव, युवा मोर्चा के महेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

अर्थशास्त्रियों को जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत : राजेंद्र सिंह यादव

जयपुर, (का.सं.)। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को कहा कि देश में अर्थशास्त्रियों को हमारे गांवों और समाज के वंचित वर्गों की जमीनी हकीकत को समझने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स का आयोजन करना बहुत अच्छा है, जिसमें देश के आर्थिक विकास से संबंधित आंकड़ों और संख्याओं पर चर्चा की जा सके। हालांकि, यह देखा गया है कि कभी-कभी आंकड़े जमीनी हकीकत से भिन्न हो सकते हैं। अर्थशास्त्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे गरीबी को कम करने व अमीरों और वंचितों के बीच के अंतर को पाटने पर ध्यान दें। मंत्री यादव मुख्य अतिथि के रूप में मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर (एमयूजे) में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन (आईईए) के 103वें और 104वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे।

मंत्री ने आगे बताया कि राजस्थान में वर्तमान सरकार उच्च शिक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज 1800 निजी कॉलेज, 300 सरकारी कॉलेज और अन्य 123 सरकारी कॉलेज पाइपलाइन में हैं।

इससे पहले, एमयूजे के कुलपति, प्रो जीके प्रभु ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आईईए के 103वें और 104वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करना एमयूजे के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र सभी पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और शोध के लिए एक आवश्यक मांग भी है। इस अवसर पर वाईस प्रेसिडेंट, आईईए एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स, वीएसएसडी कॉलेज, कानपुर, डॉ देवेंद्र अवस्थी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान मंच पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इंडियन इकोनॉमिक जर्नल और आईईए मेम्बरशिप प्रोफ़ाइल-2022 का कॉन्फ्रेंस स्पेशल अंक भी जारी किया गया।

राष्ट्रपिता के अपमान वाले बयानों के खिलाफ प्रदर्शन

जयपुर। जयपुर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा सद्भावना संगठन के बैनर तले धर्म संसद जैसे आयोजनों के माध्यम से साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान करने वाले बयानों के खिलाफ शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया।

राजस्थान नागरिक मंच के महासचिव बसन्त हरियाणा ने बताया इस अवसर पर उपस्थित व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सामम्प्रदायिक बढ़ाने व महात्मा गांधी के अपमान वाले बयान देश की एकता अखंडता और भाईचारे को खत्म करेंगे। देश की तरक्की खुशहाली के लिए आवश्यक है देश में शांति भाईचारा मजबूत रहे लेकिन अफसोस की बात है जिन लोगों पर देश में भाईचारा व देश की एकता अखंडता कायम रखने की जिम्मेदारी है उन्ही लोगों के संरक्षण में भाईचारे व देश की एकता अखंडता विरोधी बयान दिए जा रहे है।

कार्यशाला में स्थानीय निकायों के प्रमुखों की समस्याएं जानी जाएंगी

- प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर 6 और 7 जनवरी को होगी कार्यशाला

जयपुर(का.प्र.)। प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस की ओर से स्थानीय निकायों के प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं जानने के लिए जयपुर में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है 6 और 7 जनवरी को होने वाली इस कार्यशाला में सभी निकाय प्रमुख हिस्सा लेंगे।

कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस कार्यशाला में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, नगर पालिका के चेयरमैन, नगर परिषद के चेयरमैन, प्रधान और उपप्रधान को आमंत्रित किया गया है। 6 जनवरी को 4 संभागों के स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे तो 7 जनवरी को 3 संभागों के स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्यशाला में शामिल होंगे। इन निकाय प्रमुखों को कार्यशाला में अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा कि उनके सामने काम के दौरान क्या समस्याएं आती हैं और किस तरह उन्हें दूर किया जा सकता है।

कार्यशाला के पीछे पार्टी का उद्देश्य यह है कि स्थानीय निकायों के प्रमुखों, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, प्रधानों और उपप्रधानों में से अधिकांश लोगों को अपने अधिकारों जानकारी नहीं हो पाती। इसके चलते प्रशासन में वे अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। साथ सरकार की ओर से गांव-ढाणियों के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी भी नहीं हो पाती है। इसके चलते गांवों में उम्मीद के मुताबिक विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। इसी के चलते दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

वहीं कार्यशाला में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत करवाया जाएगा कि कौन-कौन सी योजनाएं गांव देहातों से जुड़ी हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि उन योजनाओं के जरिए जनता को क्या लाभ दिला सकते हैं? उन तमाम कामों की जानकारी कार्यशाला में दी जाएगी। साथ ही सरकार की उपलब्धियों जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव ढाणियों तक पहुंचाने का टास्क भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दिया जाएगा।

दो दिन चलने वाली कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ अपने व्याख्यान देंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है उसकी भी जानकारी देंगे। कार्यशाला में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे।

आकाशवाणी की राजस्थानी वेबसाइट का लोकार्पण

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आकाशवाणी समाचार, जयपुर की राजस्थानी वेबसाइट का मंगलवार को यहां राजभवन में कंप्यूटर का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रादेशिक भाषा और संस्कृति के संदर्भ में राजस्थान के निवासियों के लिए ऑनलाइन यह महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई दी। आकाशवाणी समाचार जयपुर के उप महानिदेशक मयंक कुमार ने बताया कि राजस्थानी में समाचार की यह पहली वेबसाइट है। राजस्थान में प्रमुख समाचारों को राजस्थानी में प्रसारण के साथ वेबसाइट पर भी देने की इससे पहल हुई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-5/2021/डी-2507 दिनांक-3.12.2021

आम सूचना

श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना महावीर कॉलोनी के पुराना भूखण्ड संख्या 3 नया भूखण्ड संख्या 28 के नियमन एवं पट्टा विलेख जारी कराने बाबत श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री हरदयाल शर्मा द्वारा आवेदन पत्र के साथ सहकारी समिति द्वारा श्रीमती धन्नो देवी पत्नि डॉ. सत्यदेव प्रसाद के पक्ष में जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान रसीद एवं श्रीमती धन्नो देवी द्वारा श्री प्रभूदयाल पुत्र श्री मुन्नालाल के पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत इकरारनामा, श्री प्रभूदयाल द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत इकरारनामा की प्रतियां संलग्न की गई है।
उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति हितधारी संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-5
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नाम परिवर्तन

I have changed my name from VINOD KUMARI to VINISHA KANWAR. In future known me Vinisha Kanwar D/o Bhanwar Singh R/o 129-B, Om Shiv Colony, Jhotwara, Jaipur, Raj.

अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 के नियम 14)

नाम न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर स्थान जयपुर महानगर प्रथम जयपुर
कुंजलाल उर्फ कुंज बिहारी विरुद्ध मणिहारी कटला यूनियन व अन्य
अपील- दीवानी प्रथम अपील (सीआरए)
अपील नं. 19 सन् 2018
....के न्यायालय की तारीख......को.......की अपील 1. मणिहारी कटला यूनियन जरिये अध्यक्ष श्री हरिकिशन जी सिंधी के/ऑफ जे.पी. एन्टरप्राईजेज व मंत्री विजय कुमार रंगवाला पुत्र रोशन लाल रंगवाला चौकड़ी विश्वेश्वर जी, कटला पुरोहित जी, जयपुर (राज.) 2. किशोर इलेक्ट्रीकल्स जरिये किशोर जी खण्डेलवाल, दुकान नं. 334, चौड़ा रास्ता, जयपुर (राज.)
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में.....की डिक्री की अपील......द्वारा उपस्थित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिये इस न्यायालय द्वारा ता. डीएच-09.01.22, 10.00 एएम नियत की गई है। यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिये कार्य करने के लिये विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जावेगी। आज तारीख 04.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और कार्यालय की मुहर लगाकर दी गई।
वरिष्ठ रीडर
(मोहर) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम-3, जयपुर महानगर-प्रथम

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-6/21/डी-9693 दिनांक 23/12/21

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रामचन्द कश्यप पुत्र श्री साधुराम कश्यप द्वारा आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा व प्रार्थना पत्र के आधार पर सिन्धु नगर कॉपरेटिव सोसायटी की आवासीय योजना स्कीम 16 व 16जी के भूखण्ड संख्या 141 क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज का नियमन / पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया है। समिति द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 21.03.1994 को श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामनारायण यादव के पक्ष में जारी किया गया है।
इस बाबत किसी भी व्यक्ति /संस्था /कम्पनी / सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-06, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पेश कर सकते है। नियत अवधि तक कोई आपत्ति / आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।

दानिश अबरार के बयान पर भाजपा ने हमला बोला

प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है : कटारिया

जयपुर। कभी सचिन पायलट के नजदीकी रहे और अब मुख्यमंत्री के सलाहकार दानिश अबरार ने अपनी की सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने नौकरशाही को हावी बताते हुए इन्वेस्टर समिट में काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है। उनके इस बयान के बाद शांत पड़ी भाजपा को सरकार को घेरने का मौका मिल गया।

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री विभागों में भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार कर चुके हैं। अब उनके ही सलाहकार का ब्यूराक्रेट्स के हावी होने का बयान साफ कर रहा है कि प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है। अब उन्होंने काले झंडे दिखाने तक की बात कह दी है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो ही नहीं सकता।

उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। राठौड़ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पत्र भेजा है, जिसमें दानिश अबरार को बर्खास्त करने और असंवैधानिक रूप से लाभ के पदों पर नियुक्त किए गए लोगों के संबंध में पुनर्विचार करने की मांग की गई है। पत्र में राठौड़ ने 20 सूत्री कार्यक्रमों में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को उपाध्यक्ष बनाने का भी विरोध किया है।

अपहृत नाबालिग को पेश करने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नौ साल के बच्चे का बीच रास्ते अपहरण करने के मामले में गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी मानव तस्करी निरोधक यूनिट और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पूर्व सहित प्रताप नगर थानाधिकारी से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने अपहृत बच्चे को 12 जनवरी को अदालत में पेश करने के आदेश देते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।

जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश आशुतोष शर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि गत 11 सितंबर को प्रताप नगर निवासी याचिकाकर्ता का नौ साल का बेटा शाम करीब आठ बजे घर के बाहर साइकिल चला रहा था। इतने में एक व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया। याचिका में कहा गया कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई प्रभावी जांच नहीं की है। याचिकाकर्ता की ओर से पुलिस को अपहर्ता का हुलिया बताने के बाद भी पुलिस ने ना तो उसकी गिरफ्तारी की है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया-पाया

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना खुशी संसार राजस्व ग्राम श्योसिंहपुरा प्लॉट नं. 43, का मूल पट्टा, साईट प्लान दस्तावेजों सहित गुम हो गया है। सूचित करें। राधाकिशन जाट-9351485391

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि डी-6/242, द्वितीय तल, सेक्टर-6, चित्रकुट, जयपुर स्थित फ्लैट पर मैंने एच.डी.एफ.सी. लि. से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त फ्लैट के समस्त असल दस्तावेज एच.डी.एफ.सी. लि. में रहन कर रखे हैं। यह कि मेरे पिताजी श्री जितेन्द्र कुमार रावत का दिनांक 05.02.2018 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त फ्लैट के पेटे लिये ऋण की पूर्ण अदायगी एच.डी.एफ.सी.लि. को मेरे द्वारा की जा चुकी है, इसलिये अब मैं उक्त फ्लैट के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहता हूँ, यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथी से सात दिवस तक की अवधि में एच.डी.एफ.सी.लि. प्रथम मंजिल, बी-53,54, हनुमान नगर-बी, गौतम मार्ग, जयपुर। फोन नं. 0141-6480799 में संपर्क करें। सूचित रहें।
दिनांक-31.12.2021 संदीप रावत
डी-6/242, द्वितीय मंजिल, सेक्टर-6, चित्रकुट, जयपुर। मो. 9414308030

प्ररूप-10
(नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगर पालिका मण्डल, सांभर लेक
क्रमांक- नपासा/2021/2013 दिनांक- 03.01.2022

लोकसूचना

श्री शंभुदयाल पुत्र श्रीनारायण माली, निवासी आशिक अली बाबा रोड, खेमदास जी की बगीची कस्बा सांभर लेक ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये भू-उपयोग परिवर्तन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिघृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.सं.	जिला का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	चाहा गया उपयोग
1	जयपुर	सांभर लेक	132	कुल किता 04 बिस्वा	0.0506 हैक्टेयर को आवासीय में रूपान्तरण हेतु

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोगार्थ (आवासीय भू-रूपान्तरण) हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिघृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियम मसय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03.01.2022 को जारी की गयी।
(शिवराज कृष्णा) प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मण्डल सांभर लेक

प्ररूप-10
(नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगर पालिका मण्डल, सांभर लेक
क्रमांक- नपासा/2021/2015 दिनांक- 03.01.2022

लोकसूचना

श्री शंकर सैनी पुत्र गणेशलाल माली, निवासी खेमदास जी की बगीची, सदाशिव व्यास मार्ग, कस्बा सांभर लेक ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये भू-उपयोग परिवर्तन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिघृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.सं.	जिला का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	चाहा गया उपयोग
1	जयपुर	सांभर लेक	2420/1386	कुल किता 02 बिस्वा	0.0253 हैक्टेयर को आवासीय में रूपान्तरण हेतु

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोगार्थ (आवासीय भू-रूपान्तरण) हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिघृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03.01.2022 को जारी की गयी।
(शिवराज कृष्णा) प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मण्डल सांभर लेक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 । फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियां उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूची में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की राशि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1.	30289392	सम्पत्ति पर ऋण	1. भीमा शरण भैरू 2. ज्याना देवी 3. मन्ना राम गुर्जर	24-12-2021	4,12,658.87/-	पट्टा सं. 104, वार्ड नं. 07, ग्राम-पिपलोद नारायण, ग्राम पंचायत-देवीपुरा, पंचायत समिति-शाहपुरा, जिला-जयपुर (राजस्थान), का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 143.83 वर्गगज, और सीमाएं निम्न है: पूर्वः खुली भूमि और चौक पश्चिमः आम रास्ता उत्तरः भैरूराम की कृषि भूमि दक्षिणः आम रास्ता
2.	32971785	सम्पत्ति पर ऋण	1. कमलेश गोमाराम 2. गुतन देवी	24-12-2021	4,08,099.57/-	वह सब टुकड़ा और प्लाट का पार्सल पट्टा संख्या 30 के साथ, बुक नं. 10, क्षेत्रफल 162.94 वर्गगज।, ग्राम और ग्राम पंचायत-अकोड़ा, तहसील-फुलेरा, जिला-जयपुर, राजस्थान और सीमाएं निम्न है: पूर्वः आम रास्ता पश्चिमः हीरालाल और मंगूराम बैरवा उत्तरः महोरी लाल व रामनाथ बैरवा दक्षिणः महेन्द्र कुमार व हरिपाल बैरवा।
3.	13595639	गृह ऋण	1. मनोज कुमार वर्मा 2. विनोद शर्मा	24-12-2021	9,99,189.82/-	वह सब टुकड़ा और प्लाट नं. 1077 का पूरा भाग, क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर सेज (सेटलमेंट) योजना, तेलावास, ब्लॉक-डी, ग्राम-नेवटा, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर, और सीमाएं निम्न है: पूर्वः प्लॉट नं. 1078 पश्चिमः प्लॉट नं. 1076, उत्तरः प्लॉट नं. 978 दक्षिणः रोड 12 मीटर चौड़ा
4.	27244668, 27994413, 27996878, 32570603, 32570917, 32275044	सम्पत्ति पर ऋण	1. श्री श्याम ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रो. गुरमीत सिंह काला 2. गुरमीत सिंह काला 3. रितु काला	24-12-2021	3,53,07,958.51/-	संपत्ति-1: प्लॉट नं. 82/19 पर बने घर का पूरा व प्रत्येक भाग क्षेत्रफल 140.00 वर्गफीट प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में स्थित है और सीमाएं निम्न है: पूर्वः हाउस नंबर 82/35, पश्चिमः हाउस नं. 82/20 व सरकारी रोड, उत्तरः कॉमन पाथ वे, दक्षिणः मकान नंबर 81/18 संपत्ति-2: वह सब जो फ्लैट नं. 502 का टुकड़ा और प्रत्येक भाग क्षेत्रफल 2610.00 वर्गफीट (सुपर बिल्ट अप एरिया), प्लॉट नंबर पर स्थित एसडीसी ओएसिस की पांचवी मंजिल पर प्लाट नं. ए-19, बी-37, बी-38, जनता कॉलोनी, जयपुर और सीमाएं निम्न है: पूर्वः अन्य, पश्चिमः लिफ्ट, उत्तरः बालकनी, दक्षिणः फ्लैट 501 संपत्ति-3: दुकान नं. बी-53 का पूरा व प्रत्येक भाग, कुल भुखंड के 1/2 भाग का मापन प्लाट का वर्ग क्षेत्र, क्षेत्रफल 83.64 वर्गमीटर, ट्रक स्टैंड योजना, परिवहन नगर आगरा रोड, जयपुर में स्थित है और सीमाएं निम्न प्रकार है: पूर्वः दुकान नं. बी-52, पश्चिमः दुकान नं. बी-54, उत्तरः 20 फीट प्लेटफार्म, दक्षिणः दुकान नं. बी-62
5.	9831818	सम्पत्ति पर ऋण	1. विकास गोलछा 2. सपना चम्पालाल जैन 3. विकास एंटरप्राईजेज 4. अरिहंत सेल्स प्रो. सपना चम्पालाल जैन	24-12-2021	37,96,154.82/-	मद संख्या-1: रूम नं. 481 का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 96.93 वर्गफीट दूसरी मंजिल पर मकान नं. 2781 (सावरदा हाउस बिल्डिंग), खजाने वालों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान में स्थित, और सीमाएं निम्न प्रकार है: पूर्वः कमरा नं. रूम नं. 480 पश्चिमः कमरा नं. 482, उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः कॉरिडोर मद संख्या-2: रूम नं. एस-13-ए, का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 247.00 वर्गफीट, दूसरी मंजिल मकान नं. 2652 व 2651-ए, पर बने, चौकड़ी तोपखाना देश, दर्जियों का चौराहा, रास्ता टिक्कवालान, जयपुर, राजस्थान, और सीमाएं निम्न है: पूर्वः कमरा नं. एस-13, पश्चिमः अन्य संपत्ति, उत्तरः कॉरिडोर, दक्षिणः अन्य संपत्ति

आपको एतद् द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूची में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा / इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री / लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिए प्रतिबंधित है।
दिनांक : 05.01.2022 ह./-
स्थान : राजस्थान प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)